

प्रेषक,

बाबू राम,  
अमृत सिंह,  
उत्तर प्रदेश वासन।

सेवा में,

सचिव,  
केन्द्रीय वायव्यमिक विभाग एविएट,  
विभाग ऑफ-२ समुदाय केन्द्र,  
प्रीति विभाग, नईदिल्ली।

विभाग (७) अमृतानगर

लम्बानुक्त: विभाग: १४ जुलाई, २००६

विभाग :- उत्तर प्रदेश बैरिंग अमृत ज्ञान पोंडी बेरठ हापुड रोड, बेरठ को ईंटवाट्टेसर्ट्टो नहीं  
विभाग से संबंधित हेतु अनावश्यक प्रश्नान् प्रति विभाग जाना।

प्रश्नावाद,

उत्तर प्रदेश विभाग की ओर ज्ञान प्राप्त आकृष्ट करते हुए मुझे वह कहने का लिए राज्य  
है कि उक्त अन्तर्भुक्त विभाग ने ईंटवाट्टेसर्ट्टो नईदिल्ली से संबंधित हेतु अनावश्यक  
प्रश्नान् प्रति विभाग में इस राज्य सरकार की नियन्त्रित विभागीय प्रतिवर्धी के अप्रीन आपातत् नहीं  
है:-

- (१) विभाग की पञ्चीकृत सोसायटी का सम्बन्ध पर नवीनीकरण कराना
- (२) विभाग की प्रबंध समिति ने विभाग नियंत्रक द्वारा नामित एक सदस्य होना।
- (३) विभाग में कम से कम 10 प्रतिवर्धी स्थान अनुसूचित जाति/जनजाति के विभागीय  
वर्षों के लिए सुरक्षित रहने और उनसे उत्तरप्रदेशमिक विभाग परिषद्/वैसिय  
विभाग परिषद् द्वारा संभालित विभागीय विभिन्न व्यवाधी के लिए निर्धारित  
रूप से अधिक शुल्क नहीं लिया जायेगा।
- (४) सरस्वा इस राज्य सरकार से किसी अनुदान वा गोद नहीं की जायेगी और यदि  
इसी ने विभाग का वायव्यमिक विभाग परिषद् है वान्यता प्राप्त है तथा विभाग की  
संबंधित सेवा बोर्ड द्वारा सेकेन्डरी एफ्यूमेन नईदिल्ली/नीलिम बाबू दि  
ष्टिकृत इमूल सटीकृत इवायमिनेशन नईदिल्ली से मान छोती है, तो उस  
परिषद् द्वारा प्रदत्त भाव्यता तथा राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान स्वतः समाप्त  
हो जायेगी।
- (५) सरस्वा वे वैशिक पद विभागीय वर्षवारियों का राजकीय सहायता प्राप्त विभाग  
विभागीयों की कर्मचारियों की अनुमत्य विभागमानी तथा अन्य भासी से कम  
केरलायाम तथा अन्य भूमि जहाँ विवे जायेंगे।

- (6) कर्मचारियों की सेवा शर्ते बनायी जायेगी और उन्हे सहायता प्राप्त अवासकोय उच्चतर मान्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों को अनुमत्य सेवा निष्ठृति कर लाभ उपलब्ध कराये जायेंगे ।
- (7) राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जो भी आदेश निर्णय किये जायेंगे उसमा उनका पालन करेंगी ।
- (8) विद्यालय का रिकार्ड नियारित प्रपञ्च परिकालों में रखा जायेगा ।
- (9) उक्त शास्त्री में राज्य सरकार के पूर्वानुभोवन के दिन कोई परिवर्तन/संशोधन/परिवर्द्धन नहीं किया जायेगा ।

उक्त प्रतिवर्धों द्वारा पालन करना सरकार के लिए अनिवार्य होगा और यह किसी समय यह राज्य जल्द ही कि-संस्था द्वारा उक्त प्रतिवर्धों का पालन नहीं किया जा रहा है अथवा पालन करने वे किसी प्रकार की छूट या विधिवत् बरती जाती है तो राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनापरित प्रमाण एवं वापस ले लिया जायेगा ।

मवदीय,

(बाबू राम)  
अनु संचित ।

पुस्तक- /15-7-2006 तात्पुरीक

प्रतिलिपि नियमसंग्रह द्वारा सुखमार्य एवं उदावरणक कार्यपादी हेतु ग्रेड :-

- 1- शिक्षा नियेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
- 2- मण्डलीय संघर्षत शिक्षा नियेशक, मेरठ ।
- 3- शिक्षा विद्यालय नियीकन, मेरठ ।
- 4- नियीकन, आमा भारतीय विद्यालय उ०प्र०, लखनऊ ।
- 5- प्रधानपक, ए०प्र०८०० फ़िरेंज स्कूल शाम पांची मेरठ हायुष रोड, मेरठ ।
- 6- गार्ड कुक ।

आशा से,

(बाबू राम)  
अनु संचित ।